न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 82 ए / 2021 / दावा 136 एलआरएक्ट

अरूण कुमार उर्फ रूड़मल पुत्र पूर्णमल जाति ब्राहमण निवासी पृथ्वीपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवदेन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र सिंह रणवा वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य — दिनांक– 18.07.2022

1 आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 383, 384 रकबा 1.1800 है0 किता 2 कुल रकबा 1.3000 है0 में प्रार्थी / आवेदक का हक, हिस्सा 1 / 4 व कृषि भूमि ख.नं. 27 रकबा 0.0400 है0 किता 1 कुल रकबा 0.0400 है0 (गै0मु0 चाह) में प्रार्थी / आवेदक का हक, हिस्सा 1 / 15 तथा कृषि भूमियॉ ख.नं. 28 रकबा 1.0900 है0, ख.नं. 30 रकबा 0.0400, ख.नं. 31 रकबा 0.5400 है0, ख.नं. 32 रकबा 0.5800 है0, ख.नं. 33 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.4100 है0 में प्रार्थी / आवेदक का हक, हिस्सा 1 / 12 ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का अभयपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी / आवेदक की कब्जे, काश्त एवं खातेदारीशुदा है एवं उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी / आवेदक के हक, हिस्से की खातेदारी रूड़मल पुत्र पूर्ण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी / आवेदक का नाम सही व वास्तविक रूप से अरूण कुमार पुत्र पूर्णमल है जो सही है तथा परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी / आवेदक के उक्त हक, हिस्से की खातेदारी रूड़मल पुत्र पूर्णमल के नाम से दर्ज है अर्थात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी / आवेदक का नाम गलत रूप से अरूण कुमार के स्थान पर रूड़मल दर्ज हो रखा है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमियों में अपने

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

हक, हिस्से पर काबिज, काश्त है। वादी के बैंक रिकार्ड, आयकर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं अन्य रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम "अरूण कुमार पुत्र पूर्णमल" ही दर्ज है जो सही है। परन्तु उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी का नाम गलत रूप से रूड़मल दर्ज है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से इन भूमियों के सम्बंध में प्रार्थी को अब कोई न कोई राजकीय सहायता, अनुदान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है वह भूमियों का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। इसलिए प्रार्थी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश कर रिकार्ड की दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण अरसा करीब एक माह पूर्व प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के नाम को दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 27, 383, 384, 28, 30, 31, 32, 33 ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम रूडमल पुत्र पूर्ण के स्थान पर प्रार्थी का नाम अरूण कुमार पुत्र पूर्णमल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम रूडमल पुत्र पूर्ण के स्थान पर प्रार्थी का नाम अरूण कुमार पुत्र पूर्णमल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी अभयपुरा अनुसार ग्राम पृथ्वीपुरा के ख.नं. 27, 383, 384, 28, 30, 31, 32, 33 में रूडमल पुत्र पूर्णमल दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार पहचान के दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, फोटो पहचानपत्र, आधार कार्ड जन आधार कार्ड आदि मे प्रार्थी सही नाम अरूणकुमार पुत्र पूर्णमल दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार के अनुसार रूडमल पुत्र पूर्णमल व अरूण कुमार पुत्र पूर्णमल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार रूडमल पुत्र पूर्णमल के स्थान पर अरूण कुमार पुत्र पूर्णमल दर्ज किये जाने कि अभिशंषा कि जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 27, 383, 384, 28, 30, 31, 32, 33 ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम रूडमल पुत्र पूर्ण के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम अरूण कुमार उर्फ रूडमल पुत्र पूर्णमल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ